

**भारत सरकार**  
**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**  
**कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग**  
**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न सं. 3538**  
**10 दिसम्बर, 2019 को उत्तरार्थ**

**विषय: बीज उत्पादन**

**3538. श्री के. षण्मग सुंदरम:**

**क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) तमिलनाडु सहित देश के विभिन्न राज्यों द्वारा फसल-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार बीजों की कितनी मात्रा का उत्पादन किया गया;

(ख) क्या देश गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर है और घरेलू बाजार की मांग को पूरा करने में समर्थ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्ण बीजों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)**

(क) वर्ष 2019-20 के लिए देश में उपलब्ध प्रमाणित/उत्कृष्ट बीजों की मात्रा 431.01 लाख क्विंटल है जबकि राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आवश्यकता 387.31 लाख क्विंटल की है। तमिलनाडु राज्य सहित देश में वर्ष 2019-20 के लिए उपलब्ध बीजों की फसल-वार और राज्य-वार कुल मात्रा का ब्यौरा क्रमश **अनुबंध I और II** पर दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां।

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में देश में प्रमाणित/ गुणवत्ताप्रद बीजों की आवश्यकता और उपलब्धता का ब्यौरा निम्नानुसार है:

**(बीज की मात्रा लाख क्विंटल में)**

क्र.सं.	वर्ष	आवश्यकता	उपलब्धता
1	2016-17	353.49	380.30
2	2017-18	371.38	419.41
3	2018-19	353.54	398.88
4	2019-20	387.31	431.01

(घ) किसानों के लिए उन्नत किस्म के गुणवत्ताप्रद बीज के उत्पादन और वितरण के लिए सुस्थापित व्यवस्था पहले से हमारे देश में विद्यमान है। इस व्यवस्था को राज्यों के कृषि विभाग, राष्ट्रीय बीज निगम, राज्य बीज निगमों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, सहकारी समितियों, अन्य केंद्र सरकार के संगठनों और निजी बीज उत्पादक एजेंसियों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है।

राज्य सरकारें अपने-अपने राज्य में बीज की आवश्यकता का आकलन करने के लिए तीन बीज रोलिंग प्लान पहले से तैयार करती हैं और तदनुसार विभिन्न बीज उत्पादक एजेंसियों के लिए बीज उत्पादन लक्ष्य वितरित करती हैं। यह व्यवस्था विभिन्न राज्यों में किसानों को अपेक्षित मात्रा में बीज की समय से उपलब्धता सुनिश्चित करती है।

भारत सरकार भी बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए और बीज सेक्टर से जुड़े अन्य कार्यक्रमों के लिए विभिन्न राज्यों और सरकारी बीज उत्पादक एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि किसानों को गुणवत्ताप्रद बीजों की समय से उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। घरेलू स्तर पर गुणवत्ताप्रद बीजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न चालू फसल विकास कार्यक्रम/स्कीमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, बीज और रोपण सामग्री उप-मिशन आदि हैं।

वर्ष 2019-20 के लिए प्रमाणित/गुणवत्ताप्रद बीजों की फसलवार आवश्यकता और उपलब्धता

मात्रा लाख क्विंटल में

फसल	2019-20	
	आवश्यकता	उपलब्धता
गेहूं	121.69	139.55
धान	82.40	92.28
मक्का	12.71	15.07
ज्वार	2.18	2.27
बाजरा	2.51	2.74
रागी	0.28	0.49
जौ	1.98	3.04
अन्य	0.07	0.08
<b>खाद्यान्न कुल</b>	<b>223.82</b>	<b>255.53</b>
चना	21.06	23.76
मसूर	1.53	1.52*
मटर	2.35	2.06*
उड़द	3.11	3.51
मूंग	2.45	3.31
अरहर	2.70	3.17
लोबिया	0.37	0.35*
मोठ	0.20	0.22
अन्य	1.46	1.57
<b>दलहन कुल</b>	<b>35.22</b>	<b>39.47</b>
मूंगफली	21.33	25.52
रेपसीड/सरसों	2.47	2.84
तिल	0.39	0.41
सूरजमुखी	0.17	0.19
सोयाबीज	30.52	33.88
अलसी	0.19	0.13*
कैस्टर	0.44	0.53
कुसुम	0.07	0.06*
नाइजर/अन्य	0.03	0.04
<b>तिलहन कुल</b>	<b>55.61</b>	<b>63.60</b>
कपास	2.15	2.44
जूट	0.31	0.27*
<b>फाइबर कुल</b>	<b>2.46</b>	<b>2.71</b>
आलू	70.05	69.49*
चारा/अन्य	0.16	0.20
<b>कुल</b>	<b>70.20</b>	<b>69.69</b>
<b>सकल योग</b>	<b>387.31</b>	<b>431.01</b>

नोट: \* राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (एनएससी), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नैफेड), कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (केआरआईबीएचसीओ), इंडियन फ़ार्म फोरेस्ट्री डेवलपमेंट कोऑपरेटिव लिमिटेड (आईएफएफडीसी) हिंदुस्तान कीटनाशक लिमिटेड (एचआईएल) और विभिन्न प्राइवेट बीज कंपनियां भी राज्य सरकारों को बीज की आपूर्ति में सहयोग करती हैं।

वर्ष 2019-20 के लिए प्रमाणित/ गुणवत्ताप्रद बीजों की राज्यवार आवश्यकता और उपलब्धता

मात्रा लाख क्विंटल में

राज्य	2019-20	
	आवश्यकता	उपलब्धता
आंध्र प्रदेश	24.26	31.88
अरुणाचल प्रदेश	0.21	0.21
असम	3.42	3.42
बिहार	13.67	17.46
छत्तीसगढ़	10.93	12.07
गोवा	0.05	0.05
गुजरात	53.11	55.90
हरियाणा	17.31	27.15
हिमाचल प्रदेश	0.80	0.80
जम्मू और कश्मीर	1.72	1.73
झारखंड	5.67	2.15*
कर्नाटक	15.25	20.29
केरल	1.07	1.07
मध्य प्रदेश	42.14	43.98
महाराष्ट्र	24.96	25.82
मणिपुर	0.24	0.24
मेघालय	0.23	0.23
मिजोरम	0.05	0.04*
नागालैंड	0.96	0.69*
ओडिशा	6.48	7.84
पुडुचेरी	0.07	0.07
पंजाब	13.33	18.45
राजस्थान	23.66	27.47
सिक्किम	0.03	0.07
<b>तमिलनाडु</b>	<b>7.50</b>	<b>8.27</b>
तेलंगाना	13.21	15.76
त्रिपुरा	0.32	0.44
उत्तर प्रदेश	61.05	61.23
उत्तराखंड	0.99	1.08
पश्चिम बंगाल	44.61	45.15
<b>कुल:</b>	<b>387.31</b>	<b>431.01</b>
<p>नोट: * राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (एनएससी), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड), कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (केआरआईबीएचसीओ), इंडियन फार्म फोरेस्ट्री डेवलपमेंट कोऑपरेटिव लिमिटेड (आईएफएफडीसी) हिंदुस्तान कीटनाशक लिमिटेड (एचआईएल) और विभिन्न प्राइवेट बीज कंपनियां भी राज्य सरकारों को बीज की आपूर्ति में सहयोग करती हैं।</p>		

\*\*\*\*\*